

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1992

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

फसलों को होने वाली क्षति के लिए अनुदान/कृषि अनुदान प्रदान करने के मानक

†1992. श्री राम नारायण डूडी

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार काश्तकारों को उनके वास्तविक फसल खराब होने की स्थिति में दिये जाने वाले अनुदान/कृषि अनुदान के मापदंडों में संशोधन का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक; और

(ख) क्या सरकार प्राकृतिक आपदा में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराब होने की स्थिति में कृषकों के बिजली बिल माफ करने का व्यय एसडीआरएफ कोष से भरने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क): जी, नहीं।

(ख): जी, नहीं।

----